

# COVID-19 और घरेलू तथा पारिवारिक हिंसा



Ethnic Communities Council  
of Western Australia Inc.

हम समझते हैं कि COVID-19 महामारी के कारण घरेलू तथा पारिवारिक हिंसा की घटनाओं में वृद्धि होगी। हमें अनुसंधान और सबूतों के आधार पर यह मालूम है कि आपात परस्थितियों में ऐसी घटनाओं की संख्या और तीव्रता बढ़ जाती है। तनाव और कठनाई के समय के आधार पर हिंसा को न्यायोचित नहीं ठहराया सकता।

सभी महिलाओं और बच्चों को भय तथा घरेलू और पारिवारिक हिंसा से मुक्त जीवन जीने का अधिकार है।

## COVID 19 के बहाने चालबाजी करना

आवश्यक वस्तुओं, जैसे कि भोजन-सामग्री, दवाएँ, हैंड सेनीटाइजर या डिसिन्फेक्टेंट न देना।

आप पर नयित्रण करने या डराने के लिए संक्रमण के खतरे के बारे में गलत जानकारी देना।

इस वधिदा के बहाने आर्थिक नयित्रण प्राप्त करने या बढ़ाने की चेष्टा करना।

आपको या आपके बच्चों को Covid-19 के जोखिम में डालने की धमकी देना।

उनकी नौकरी चले जाने, स्वास्थ्य या आवास की समस्याओं के कारण उन्हें आपके घर में रहने देने के लिए चालबाजी करना।

आपको या आपके बच्चों को डॉक्टरों की सहायता प्राप्त करने से रोकना या आपका मेडीकेयर कार्ड छुपा देना।

## अलगाव का फ़ायदा उठाना

आपको या आपके बच्चों को घर के अंदर या घर के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रख कर और भी अलग-थलग रखना।

स्वयं-अलगाव के बहाने आपको अपने वसित्त परिवार या मतिरों से बातचीत करने से रोकना।

स्वयं-अलगाव के बहाने आपको खरीदारी या दवाखाने तक जाने से रोकना।

## कानूनी या आप्रवासन संबंधी धमकियाँ

घरेलू हिंसा के रिसिट्रेनिंग ऑर्डर को यह सोच कर भंग करना कि पुलिस के पास आपकी कॉल पर कार्रवाई करने का समय नहीं होगा।

आपका साथी COVID-19 या आपके वीज़े के बारे में धमकी देकर आप पर नयित्रण करने की कोशिश कर सकता है।

## आपको और आपके बच्चों को धमकियाँ देना

आपके और आपके बच्चों के प्रति दुरव्यवहार और हिंसा को COVID-19 के आधार पर उचित ठहराना, उसके मत्थे मढ़ना या उसे सही बताना।

यदि बच्चे परेशान हैं तो आपके मातृत्व पर नगिरानी बढ़ा देना, उसकी बुराई करना या इसके लिए दोषी ठहराना।

## मीडिया के साधनों का इस्तेमाल

आपके मोबाइल फोन की कालों, ई-मेलों और सोशल मीडिया के संदेशों की नगिरानी बढ़ा देना।

जो व्यक्ति घरेलू हिंसा करता है वह अपने दुरव्यवहार और हिंसक व्यवहार के लिए ज़िम्मेदार है।

आप या आपके बच्चों पर इसकी ज़िम्मेदारी कभी नहीं हो सकती।

## सुरक्षति रहना

सेफ्टी प्लान (सुरक्षा योजना) एक व्यक्तगित, कारगर योजना है और इसमें अपने भागीदार के साथ रहते हुए, उससे अलग होने की योजना बनाते समय और उससे अलग होने के पश्चात सुरक्षति रहने के तरीके शामिल होते हैं। सेफ्टी प्लान आपको इस संकट के समय में स्वयं को सुरक्षति रखने में सहायता दे सकता है। ये कुछ सुझाव आपके लिए सहायक हो सकते हैं।

### कम खतरे का स्थान चुनना

यदि आपको खतरे का अंदेशा है या वह झगड़ा कर रहा है तो किसी 'कम खतरे वाले स्थान' पर चली जाएँ: ऐसे कमरे जिनसे बाहर नकिलने के दो रास्ते हों, जिनमें हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकने वाला सामान कम हो, जहाँ आपको बाहर से देखा या सुना जा सके।

पारिवारिक इस्तेमाल के, खाने के और सोने के कमरों के मुकाबले रसोईघर, स्नानगृह और गैराज अधिक खतरनाक स्थान हैं। अपने बच्चों को सखाएँ - 'खतरे के स्थान से परे और बाहर जाने के द्वार के पास' रहें।

### योजना बना कर रखें

हो सके तो अपने फ़ोन को चार्ज रखें और एक और फ़ोन भी रखें, यदि ऐसा करना सुरक्षति हो तो दूसरे फ़ोन को छुपा कर रखें।

घर से नकिल सकने की योजना और दूसरा रास्ता भी सोचें। यदि ऐसा करना सुरक्षति हो तो अंधेरे में बाहर नकिलने और बच्चों के साथ नकिलने का अभ्यास करें।

घर की चाबियों का एक सेट और महत्वपूर्ण दस्तावेज़ वहाँ रखें जहाँ से आप उन्हें आसानी से ले सकें।

कुछ पैसे आपात स्थिति के लिए छुपा कर रखें या अलग अकाउंट में रखें।

**वह सब कुछ करें जिससे आपको अधिक समय/सुरक्षा मिल सके, मामला ठंडा हो सके या आपकी और बच्चों की सुरक्षा हो सके।**

### सहायता और इशारों का इस्तेमाल करें

ऐसे इशारे चुनें जिनसे आपके पड़ोसियों/परिवार के सदस्यों को पता चल सके कि आपको सहायता की आवश्यकता है। जैसे कि गैराज में जल रही बत्ती, बंद पर्दे या फ़ोन कॉल "मैं वीरवार को आपके यहाँ नहीं आ सकती"।

ऐसे इशारे और/या कोड के शब्द चुन लें जिनसे बच्चे समझ जाएँ कि उन्हें घर से नकिल कर पहले से तय किए गए सुरक्षति स्थान पर चले जाना चाहिए।

### बच्चों के साथ योजना बनाएँ

बच्चों की आयु और समझ के अनुसार, बच्चों के लिए सुरक्षा की योजनाएँ बनाएँ - वह सहायता कैसे प्राप्त कर सकते हैं और किसी सुरक्षति स्थान पर कैसे जा सकते हैं।

बच्चों को सखाएँ कि पुलिस को 000 पर कैसे फ़ोन कर सकते हैं, और उनका घर का पता क्या है।

## सहायता प्राप्त करने की चेष्टा करें

यदि आप घरेलू हिंसा के वातावरण से नकिलना चाहती हैं या आपको इससे क्षति का खतरा है तो आप घर छोड़ सकती हैं। यदि आप खतरे से बचने की कोशिश कर रही हैं तो आपके ऊपर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। घरेलू और पारिवारिक हिंसा की सभी सेवाएँ अभी भी खुली हैं और आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हैं।

यदि आप खतरे में हैं तो कृपया 000 पर फ़ोन करें और गोपनीय संकटकालीन सहायता, जानकारी और आवास के लिए कृपया क्राइसिस केयर को 24 घंटे 9223 1111 या 1800 199 008 पर फ़ोन करें

गोपनीय बहुसांस्कृतिक विशेषज्ञ सहायता के लिए सोमवार - शुक्रवार प्रातः 9.00 बजे से सायं 4.00 बजे कृपया नमिनलखिति सेवाओं से संपर्क करें:

ईशर वीमेंस हेल्थ 08 93455335 पर

मल्टीकल्चरल वीमेंस एडवोकेसी सर्विस 08 93281200 पर

एथनिक एडवोकेसी एंड सपोर्ट टीम 0452399717 पर

— funded through Lotterywest WACOSS peaks sector grant